न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

निर्णय दिनांक 24.07.2024

मुकदमा नम्बर 102/2023
ऑनलाईन नम्बर 2023/205

श्री वीर बिग्गाजी मानव सेवा संस्थान, बिग्गा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर जरिये अध्यक्ष।

—वादी—

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—प्रतिवादी—

उपस्थितिः—
1. श्री ललित कुमार मारू अभिभाषक वादी।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

वाद अन्तर्गत धारा 88,89 आरटीए व 136 भू—राजस्व अधिनियम।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बिग्गा तहसील श्रीडूंगरगढ़ में श्री वीर बिग्गाजी मानव सेवा संस्थान, बिग्गा तहसील श्रीडूंगरगढ़ की रजिस्टर्ड संस्था स्थापित है। उक्त संस्था ग्राम बिग्गा में स्थित वीर बिग्गाजी महाराज मंन्दिर व उनकी सम्पति की देखभाल सार—सम्भाल करती है। संस्था का कार्य लोक कल्याणकारी है। ग्राम बिग्गा तहसील श्रीडूंगरगढ़ में ओरण श्री बिग्गाजी के नाम खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 21 (पुराना) तादादी 8 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 1235 तादादी 2 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 212 तादादी 1 बीघा 12 बिस्वा कुल किता 3 कुल तादादी 12 बीघा 14 बिस्वा वाकेरोही बिग्गा में सम्वत 2010 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2013 से 2016 में भी उपरोक्त खसरान भूमि ओरण श्री बिग्गाजी के नाम से दर्ज चली आ रही है। राजस्व रिकार्ड अनुसार सम्वत 2016 में पुराने खसरा नम्बर 21 तादादी 8 बीघा 6 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 31, खसरा नम्बर 212 तादादी 1 बीघा 12 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 264, खसरा नम्बर 1235 तादादी 2 बीघा 16 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 1599 पैमुद हुये है । तत्पश्चात् सम्वत 2061 में उक्त खसरा नम्बर 31 के नये खसरा नम्बर 33, खसरा नम्बर 264 के नये खसरा नम्बर 274 रोही बिग्गा में पैमुद किये गये तथा पुराने खसरा नम्बर 1599 तादादी 2 बीघा 16 बिस्वा भूमि ग्राम बिग्गा बास रामसरा के राजस्व रिकार्ड में खसरा नम्बर 562 दर्ज की गई। वादगत खसरान भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में खसरा नम्बर 702 तादादी 0.71 हैक्टेयर, गैर मुमकिन ओरण रोही बिग्गा बास रामसरा व खसरा नम्बर 34 तादादी 2.10 हैक्टेयर गैरमुमकिन ओरण, खसरा नम्बर 281 तादादी 0.41 हैक्टेयर गैर मुमकिन ओरण ग्राम बिग्गा के राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादगत खसरान भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 34, 281 ग्राम विग्गा व खसरा नम्बर 702 ग्राम बिग्गा बास रामसरा की भूमि सम्वत् 2016 में ओरण श्री बिग्गाजी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी । भूमिधारक के रूप में ओरण श्री बिग्गाजी का नाम रिकार्ड में था । उपरोक्त भूमि जागीरकाल से ओरण श्री बिग्गाजी के नाम से चली आ रही है। वर्तमान में उपरोक्त वादगत खसरान भूमि का उपयोग—उपभोग सार्वजनिक रूप से किया जा रहा है। जागीरकाल से वादगत खसरान भूमि ओरण श्री बिग्गाजी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही थी । सम्वत् 2016 में सेटलमेन्ट के वक्त राजस्व कर्मचारियो की लापरवाही के चलते वागदत खसरान भूमि के राजस्व रिकार्ड में बिना किसी [illegible] व उचित आदेश के वादगत खसरान भूमि को खाता संख्या 1 में दर्ज [illegible] श्री बिग्गाजी की जगह राजस्व रिकार्ड में ओरण अंकित कर दिया, जो कि शुरू से ही [illegible] अंकित हुआ है। वादी संस्था ओरण श्री बिग्गाजी की भूमि की देखभाल, सार—सम्भाल करती चली आ रही है ।

Signature Not Verified
Digitally Signed by Uma Mittal
Date: 2024.08.16 17:03:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

वादगत भूमि के पूर्व रिकार्ड व वर्तमान रिकार्ड़ की खातेदारी में नाम की भिन्नता है । ओरण श्री बिग्गाजी ओरण होने से भविष्य में नया विवाद उत्पन्न होने की सम्भावना है । वादी संस्था ने प्रतिवादी से कई बार निवेदन किया कि सम्वत 2010 से 2016 जमाबन्दी इन्द्राज के अनुसार ही वादगत खसरान भूमि के वर्तमान खसरा नम्बर 702 तादादी 0.71 हैक्टेयर गैर मुमकिन ओरण रोही बिग्गा बास रामसरा, खसरा नम्बर 34 तादादी 2.100 हैक्टेय, खसरा नम्बर 281 तादादी 0.41 हैक्टेयर रोही बिग्गा के राजस्व रिकार्ड में काश्तकार के नाम की शुद्धि कर ओरण की जगह ओरण श्रीबिग्गाजी के नाम खातेदारी दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ति कर दे । प्रतिवादी लम्बे समय तक टालते रहे तथा दिनांक. 10.03.2023 को ऐसा करने से इन्कार करते हुये कहा कि आप सक्षम न्यायालय का आदेश ले आओ, तभी हम रिकार्ड में खातेदार का नाम दुरूस्त करेगे। वादी संस्था वादगत खसरान भूमि की सार–सम्भाल देखभाल कर सार्वजनिक हितार्थ भूमि को संरक्षित कर रखी है। राजस्व रिकार्ड सम्वत् 2016 में उपरोक्त वादगत खसरान भूमि ओरण श्री बिग्गाजी के नाम से दर्ज थी। जिसे वर्तमान रिकार्ड में गलत रूप से ओरण दर्ज किया गया है। वादी संस्था जनहितार्थ उक्त वादगत खसरान भूमि के राजस्व में गलत अमल दरामद को दुरूस्त करवाने व विधि विरूद्ध रूप से दर्ज इन्द्राज को निरस्त करवाकर सही रूप से वादगत खेत के राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी में भूमि वर्गीकरण को दुरूस्त करवाकर वादगत खसरान भूमि को ओरण श्री बिग्गाजी के नाम घोषित करवाने का अधिकार रखती है। वादगत खसरान भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज गलत इन्द्राज को निरस्त करवाने व रिकार्ड दुरूस्ती घोषणा का अनुतोष वादी द्वारा चाहा गया है । वादगत खसरान भूमि का राजस्व रिकार्ड संधारण प्रतिवादी द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार के विरूद्ध दावा प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी. के नोटिस का प्रावधान है। वादगत भूमि के सम्बन्ध में काफी वाद विवाद शुरू हो गया है, इसलिये वादी का दावा आवश्यक प्रकृति का है। प्रतिवादी येनकेन प्रकारेण राजनैतिक दबाब में आकर वादगत खसरान भूमि को खुर्द–बुर्द करने की फिराक में है, इसलिये वादी का दावा अति आवश्यक प्रकृति का है । वादी द्वारा दावा प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80 (2) सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दावा प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त कर ली है। प्रस्तुत दावा न्यायालय श्रीमान्जी के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है, जो हर प्रकार से अन्दर मियाद व पूर्ण कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है । अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दावा निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :–

(क) कि वर्तमान खसरा नम्बर 702 तादादी 0.7100 हैक्टेयर गैर मुमकिन ओरण ग्राम बिग्गा बास रामसरा की ओरण भूमि तथा खसरा नम्बर 34 तादादी 2.100 हैक्टेयर (गैर मुमकिन ओरण) खसरा नम्बर 281 तादादी 0.4100 हैक्टेयर (गैरमुमकिन ओरण) ग्राम बिग्गा के राजस्व रिकार्ड में भूमि गलत इन्द्राज गैरमुमकिन ओरण को विधि विरूद्ध घोषित किया जावे।

(ख) कि वर्तमान खसरा नम्बर 702 तादादी 0.7100 हैक्टेयर गैर मुमकिन ओरण ग्राम बिग्गा बास रामसरा की ओरण भूमि तथा खसरा नम्बर 34 तादादी 2.100 हैक्टेयर (गैर मुमकिन ओरण) खसरा नम्बर 281 तादादी 0.4100 हैक्टेयर (गैरमुमकिन ओरण) ग्राम बिग्गा की खातेदारी ओरण श्री बिग्गाजी के नाम घोषित की जावे ।

(ग) कि वर्तमान खसरा नम्बर 702 तादादी 0.7100 हैक्टेयर गैर मुमकिन ओरण ग्राम बिग्गा बास रामसरा व खसरा नम्बर 34 तादादी 2.100 हैक्टेयर (गैर मुमकिन ओरण) खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.08.16 17:03:35 IST
Reason: SelfAttested

खण्ड अधिकारी
डूंगरगढ़ (बीकानेर)

नम्बर 281 तादादी 0.4100 हैक्टेयर (गैरमुमकिन ओरण) के राजस्व रिकार्ड में खातेदार के रूप में ओरण श्री बिग्गाजी के नाम दर्ज करने का आदेश प्रतिवादी को दियां जावे तथा तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करवाकर अमल दरामद किया जावे ।

(घ) कि दावा का समस्त खर्चा वादी को प्रतिवादी से दिलवाया जावे।

(ङ) कि अन्य कोई न्यायोचित आदेश जो हितकर वादी हो या दौराने दावा हितकर वादी हो जावे, आज्ञाप्त फरमाया जावे ।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से पैरोकारराज उपस्थित होकर जवाबदावा पेश किया। दावा में वाद बिन्दु नही होने के कारण तनकीहात कायम नहीं की गई। वादी की ओर से साक्ष्यवादी पेश की गई। साक्ष्यवादी में किशन कुमार के बयान लेखबद्ध किये गये। वादी द्वारा दस्तावेज प्रर्दश–01 से 12 करवायें गये। प्रतिवादी की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में स्टेट को वादी वाद स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व वादी वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

वर्तमान खसरा नम्बर 702 तादादी 0.7100 हैक्टेयर गैर मुमकिन ओरण ग्राम बिग्गा बास रामसरा व खसरा नम्बर 34 तादादी 2.100 हैक्टेयर (गैर मुमकिन ओरण) खसरा नम्बर 281 तादादी 0.4100 हैक्टेयर (गैरमुमकिन ओरण) ग्राम बिग्गा की ओरण श्री बिग्गाजी के नाम घोषित की जाकर राजस्व रिकार्ड में गै.मु. ओरण श्री बिग्गाजी के नाम दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने का आदेश दिये जाते है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.08.16 17:03:35 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिकी मुकदमें इन्तादाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ
पीठासीन अधिकारी उमा मित्तल आरएएस

उनवान

श्री वीर बिग्गाजी मानव सेवा संस्थान, बिग्गा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर जरिये अध्यक्ष।
—वादी—

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
—प्रतिवादी—

मुकदमा नम्बर 102/2023
दावा बाबतः, घोषणात्मक, व रिकॉर्ड दुरूस्ती
निर्णय दिनांकः 24.07.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी श्री ललित कुमार मारु अधिवक्ता मिनजानिब मुदई व पैरोकारराज स्टेट की ओर से मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वर्तमान खसरा नम्बर 702 तादादी 0.7100 हैक्टेयर गैर मुमकिन ओरण ग्राम बिग्गा बास रामसरा व खसरा नम्बर 34 तादादी 2.100 हैक्टेयर (गैर मुमकिन ओरण) खसरा नम्बर 281 तादादी 0.4100 हैक्टेयर (गैरमुमकिन ओरण) ग्राम बिग्गा की ओरण श्री बिग्गाजी के नाम घोषित की जाकर राजस्व रिकार्ड में गै.मु. ओरण श्री बिग्गाजी के नाम दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने का आदेश दिये जाते है। **तहसीलदार, श्री डूँगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।**

लीज....0......मुबलिग......0........बाबत......0.........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...0..फीसदी सालाना आज को जारी..........तारीख वसूलयाबी.......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 24 माह 07 सन् 2024 को जारी किया गया ।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूँगरगढ
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.........रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4. साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		
	0		
योग	0	योग	0

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.08.16 17:03:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूँगरगढ
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी